पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

संख्या-48/2024 दिनांक- 12.02.2024

प्रेस नोट

थाना रानी की सराय

अवैध तमन्चा व कारतूस के अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 11.02.2024 को व0उ0नि0 गोपाल जी मय को सूचना मिली कि 01 व्यक्ति ग्राम अल्लीपुर पुलिया पर अवैध तमंचा के साथ मौजूद है। इस सूचना पर व0उ0नि0 मय हमराह द्वारा अभियुक्त सूरज कुमार पुत्र त्रिभुवन राम सा0 अल्लीपुर थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ उम्र करीब 23 वर्ष को 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ समय करीब 20.30 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- मु0अ0स0 38/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त- सूरज कुमार पुत्र त्रिभुवन राम सा0 अल्लीपुर थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ उम्र करीब 23 वर्ष।
बरामदगी- 01 तमंचा 315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।
पंजीकृत अभियोग- मु0अ0स0 38/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रानी की सराय।
आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त
गिरफ्तार करने वाले टीम- व0उ0नि0 गोपाल जी, हे0का0 राजेश गिरी, का0 सज्जन कुमार थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।

थाना निजामाबाद

अवैध तमन्चा कारतूस के साथ जिला बदर अपराधी गिरफ्तार

आज दिनांक 12.02.2024 को उ0नि0 प्रमोद कुमार सिंह मय हमराह द्वारा क्षेत्रभ्रमण के दौरान बड़ागांव नहर पुलिया के पास से जिला बदर अपराधी अब्दुल रहमान पुत्र स्व0 तकी निवासी परसहाँ थाना निजामाबाद आजमगढ़ उम्र करीब 32 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिसके पास से 01 तमंचा व 01 जिन्दा कारतुस .315 बोर बरामद हुआ।

➡ अभियुक्त रहमान को अपर जिला मजिस्ट्रेट (भू राजस्व) आजमगढ़ द्वारा दिनांक 19.10.23 को 6 माह के लिये जिला बदर किया गया था।

➡ गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 68/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व 10 गुण्डा नियंत्रण अधि0 1970 पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग– मु0अ0सं0 68/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व 10 गुण्डा नियंत्रण अधि0 1970 थाना निजामाबाद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त– अब्दुल रहमान पुत्र तकी निवासी कयामुद्दनीपुर उर्फ परसहा थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ उम्र 32 वर्ष।

बरामदगी- 01 अवैध तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस .312 बोर।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 203/2011 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 934/2011 धारा 302/504 IPC थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 137/2022 धारा 3/5/8 गोवध नि0 अधि व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़
4. मु0अ0सं0 474/2022 धारा 3(1) गैंगस्टर अधि0 थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़
5. मु0अ0सं0 428/2022 धारा 42/43/45 कारागार अधि0 थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
6. मु0अ0सं0 68/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व 10 गुण्डा नियंत्रण अधि0 1970 थाना निजामाबाद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.उ0नि0 प्रमोद कुमार सिंह, का0 दिनेश चन्द, का0 रवि मौर्या थाना निजामाबाद आजमगढ़।

थाना सिधारी

82सी0आर0पी0सी0 की गयी नोटिस चस्पा

आज दिनांक 12.2.2024 को थाना सिधारी आजमगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 286/23 धारा 392/323/504/427 भादवि के मुकदमें में वांछित चल रहे अभियुक्त रमित उर्फ रमता पुत्र जयचन्द्र यादव निवासी ग्राम गेलवारा थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ के विरूद्ध मा0न्यायालय सीजेएम आजमगढ़ द्वारा जारी कुर्की की उद्घोषणा अन्तर्गत धारा 82 सीआरपीसी का तामीला उ.नि. सुरेन्द्र नाथ मय हमराही फोर्स द्वारा नियमानुसार अभियुक्त के घर पर जाकर ग्रामवासियों के समक्ष नोटिस को उसके घर के मुख्य द्वार के सदृश्य स्थान पर चस्पा करके किया गया तथा मोहल्ले में मुनादी आदि की कार्यवाही करायी गयी एवं 82 सीआरपीसी नियमानुसार चस्पा किया गया।

साइबर क्राइम सेल आज़मगढ़

थाना फूलपुर क्षेत्रान्तर्गत छात्र/छात्राओ को साइबर क्राइम के सम्बन्ध में किया गया जागरूक

दिनांक 12.02.2024 को थाना फूलपुर क्षेत्रान्तर्गत स्थित हेरा पब्लिक स्कूल फदगुदिया, आजमगढ़ पर साइबर जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन व्यापक स्तर पर किया गया है। इस दौरान कॉलेज में करीब 200 से अधिक छात्र-छात्राओं ने साइबर जागरूकता में प्रतिभाग किया। जिन्हें साइबर अपराध के बारे में जागरूक करते हुए महत्वपूर्ण तथ्यों से अवगत कराते हुए सतर्कता बरतने की अपील की गयी।

➡साइबर सेल के अधिकारी/कर्म0गण द्वारा वर्तमान समय मे हो रहें सोशल मीडिया व आर्थिक साइबर अपराध के बारे में एवं उनसे बचने के तरीकों के बारे में बताया गया। त्वरित कार्यवाही हेतु साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 व साइबर क्राईम रिर्पोटिंग पोर्टल www.cybercrime.gov.in के बारे में अवगत कराया गया। साथ ही अपील किया कि किसी भी अनजान नम्बर से आये फोन काल पर किसी अन्जान व्यक्ति को अपने निजी जानकारी या ओटीपी शेयर न करने के बारे मे अवगत कराया गया।

➡प्रभारी निरीक्षक कोतवाली फूलपुर शशिचन्द्र चौधरी एवं साइबर क्राइम सेल आजमगढ़ के प्रभारी उ0नि0 मो0 अबूशाद एवं मुख्य आरक्षी ओमप्रकाश जायसवाल द्वारा विद्यार्थियों को फेसबुक/इन्सटाग्राम आदि सोशल मीडिया हैकिग, बारकोड के माध्यम से होने वाले फ्राड, वाट्सएप हैकिग से बचाव, फर्जी वेबसाइट से होने वाले फ्राड के संबंध में सावधानियां बरतने व अनजान लिंक को फालो न करनें की सलाह दी गयी। साथ ही फेसबुक, इंस्टाग्राम, वाट्सएप इत्यादि इंटरनेट मीडिया साइट्स से हनीट्रैप के संबंध में छात्र / छात्राओं को जागरूक किया गया। सिम कार्ड के माध्यम से, एटीएम कार्ड बदलकर, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, बायोमेट्रिक, क्यूआर कोड स्कैन, इंटरनेट मीडिया पर अनजान व्यक्ति से दोस्ती, फर्जी काल, अनजान वाट्सएप वीडियो काल, आनलाइन लोन देने वाले एप, इंटरनेट मीडिया पर गलत तरीके से प्रलोभन देकर रुपयों की मांग करने वालों से, व गूगल से कस्टमर केयर का नंबर सर्च न करने के बारे में व यूपीआइ संबंधित फ्राड के प्रति भी छात्र/छात्राओं को जागरूक किया गया।